[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 41/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा0का0नि0.... (अ)- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसका यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के माल को और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल को, जब उन्हें भारत में आयात किया जाता है, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है ।

सारणी

क्र.सं.	माल का वर्णन	शर्तें
(1)	(2)	(3)
1	चैलेंज कप और ट्राफी	यदि,- (i) किसी भारतीय टीम को भारत से बाहर किसी टूर्नामेंट में उसके भाग लिए जाने के संबंध में प्रदान की गई है और शासकीय खेल संगम के पास रखे जाने के लिए भारत में उसके द्वारा लाया गया है ; (ii) सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि टीम टूर्नामेंट में भाग लेने के विनिर्दिष्ट प्रयोजन से विदेश गई थी ; और (iii) आयातकर्ता और साथ ही शासकीय खेल संगम, जिनके द्वारा माल प्रतिधारित किया जाएगा, यह वचन देता है कि उक्त माल उक्त संगम द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा और किसी भी रीति में, पश्चातवर्ती पुन:निर्यात के सिवाय जब ऐसा पुन:निर्यात टूर्नामेंट में भाग लेने की

		शर्तों में से एक है, व्ययन किया जाएगा ।
2	पटक और ट्राफी	यदि- (i) भारतीय टीमों के सदस्यों को भारत से बाहर अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों या प्रतिस्पर्धाओं में उनके द्वारा भाग लेने के लिए प्रदान की जाती हैं ; और (ii) सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उक्त माल ऐसा माल है, जो साधारण उपयोक्ता की वस्तुएं नहीं हैं ।
3	भारतीय टीम के किसी सदस्य द्वारा जीते गए पुरस्कार	यदि,- (i) टीम ने भारत सरकार के युवा कार्य और खेलकूद मंत्रालय के अनुमोदन से किसी खेलकूद या खेल के संबंध में किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट या प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है ; (ii) आयातकर्ता, भारत सरकार की उक्त विभाग के उप सचिव की पंक्ति से अनिम्न अधिकारी से इस भाग का प्रमाणपत्र अनापत्ति के समय प्रस्तुत करता है कि,- (क) आयातकर्ता किसी ऐसी भारतीय टीम का सदस्य है, जिसने किसी खेलकूद या खेल के संबंध में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट या प्रतिस्पर्धा में भारत सरकार के अनुमोदन से भाग लिया था और ऐसे टूर्नामेंट या प्रतिस्पर्धा में पुरस्कार जीता है ; और (ख) उक्त पुरस्कार की ऐसे टूर्नामेंट या प्रतिस्पर्धा के उसके आयोजकों द्वारा आयोजित किए जाने से पूर्व घोषणा की गई है ; और (iii) आयातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त को आयात के समय और उसके स्थान पर यह वचन देता है कि पुरस्कार उसके कब्जे, नियंत्रण और उपयोग में रहेगा और ऐसे आयात की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विक्रीत नहीं किया जाएगा

		या उसका परित्याग नहीं किया जाएगा ।
4	केंद्रीय सरकार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी खेलकूद निकाय द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ द्वारा ट्राफी के भारत में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट, जिसके अंतर्गत भारत में होने वाले द्विपक्षीय टूर्नामेंट और विश्व कप आयोजन भी हैं, में विजेता टीम को प्रदान किए जाने के लिए आयात किए जाने पर ।	यदि,- (i) यथास्थिति, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उक्त माल साधारण उपयोक्ता की वस्तु नहीं है ; (ii) अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट, जिसके अंतर्गत द्विपक्षीय टूर्नामेंट और विश्व कप आयोजन भी हैं, आयोजित करने वाले मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ या रजिस्ट्रीकृत खेलकूद निकाय, यथास्थिति, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त को आयात के समय निम्नलिखित दस्तावेज देते हैं, अर्थात्:-- (क) विनिर्माता का बीजक ; (ख) ट्राफी की फोटो ; (ग) ऐसी घोषणा, जो मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ या रजिस्ट्रीकृत खेलकूद निकाय और साथ ही अंतरराष्ट्रीय निकाय, यदि कोई हो, द्वारा निर्यात के प्रयोजन का यह कथन करती है कि किसकी ओर से ऐसा परिसंघ या खेलकूद निकाय भारत में टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है ; (घ) आयोजन की अवधि ; (iii) ऐसा परिसंघ या खेलकूद निकाय ऐसा वचन देता है कि,- (क) उक्त ट्राफी परिसंघ या खेलकूद निकाय द्वारा प्रतिधारित की जाती है तब तक किसी ऐसी रीति में, जब तक आयोजन का समापन नहीं हो जाए, व्ययन नहीं की जाती है ; (ख) यदि ट्राफी भारतीय टीम को प्रदान की जाती है तो ऐसा परिसंघ या खेलकूद निकाय ट्राफी का प्रतिधारित करेगा और

		किसी भी रीति में, चाहे वह जो भी हो, व्ययनित नहीं करेगा ; (ग) यदि ट्राफी भारतीय टीम से भिन्न किसी विजेता टीम को प्रदान की जाती है तो उक्त ट्राफी का निर्यात किया जाएगा ; (iv) निर्यात के समय, यथास्थिति, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि अंतरराष्ट्रीय टीम, जिसने ट्राफी जीती थी, ने भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट, जिसके अंतर्गत द्विपक्षीय टूर्नामेंट और विश्व कप भी है, में भाग लिया था और ट्राफी की पहचान साबित हो जाती है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा0सं0 354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार